न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:–184/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/379)

1. हरीप्रकाश पुत्र प्यारेलाल उम्र 50 वर्ष निवासी राजडोली तहसील टहला जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:–

1. **श्री महेन्द्र शर्मा व महेश चन्द गौतम एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांक 01.05.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ग्राम राजडोली तहसील टहला जिला अलवर का भूमिहीन व्यक्ति है तथा अपीलार्थी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भू आवंटन) नियम 1970 की धारा 8 के तहत भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया जिस पर अपीलान्ट को ग्राम खारियावास तहसील टहला जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.45 हैक्टयर किस्म नहरी प्रथम में से 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म बंजड में से सम्पूर्ण 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.05 हैक्टयर किस्म बंजड़ में से सम्पूर्ण 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.07 हैक्टयर किस्म बंजड में से सम्पूर्ण 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.06 हैक्टयर किस्म बंजड में से सम्पूर्ण 0.06 हैक्टयर, अर्थात किता 5 कुल रकबा 0.32 हैक्टयर सिवायचक भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अपने आवंटन आदेश क्रमांक एल. आर./आवंटन/2021–22/1045 दिनांक 02.03.2022 को किया गया एवं आवंटित भूमि का कब्जा अपीलान्ट को संभला दिये जाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि में अपीलान्ट का नाम विधिक रूप से दर्ज किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि पर पैसे लगाकर एवं कड़ी मेहनत कर आवंटित भूमि को कृषि योग्य तैयार किया गया एवं अपीलार्थी आवंटित भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है। उन्होने आगे कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलान्ट को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी जॉच कमेटी अलवर की जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया है कि प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

के दौरान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत किये गये आवंटन को गठित जिला स्तरीय जॉच दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है। जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी के द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर विधिक रूप से अपीलार्थी कब्जा काश्त है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काश्त की जा रही है। उक्त आवंटित भूमि वन विभाग, खनिज विभाग से सम्बन्धित नही है, भूमि की किस्म सिवायचक है तथा अपीलान्ट भूमिहीन व गरीब परिवार की श्रेणी में आता है। आवंटी, आवंटन नियम की समस्त शर्तो की पालना करता रहा है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा अपीलार्थी के जवाब को बिना कन्सीडर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नही देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया व विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को अपास्त कर दिया गया, जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट का परिवार बहुत ही गरीब और सिर्फ खेती पर ही निर्भर है तथा अपीलार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु किसी तरह का कोई छल–कपट नही किया गया है और अपीलार्थी द्वारा भू आवंटन नियम की किसी भी शर्त का उल्लंघन भी नही किया गया है तथा अपीलार्थी राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन) 1970 की समस्त शर्तो हेतु पात्रता रखता है और इसीलिये आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं नियमों की पूर्णतय पालना करते हुऐ ही अपीलार्थी को भूमि आवंटन हेतु पात्र मानते हुए ही विधि सम्मत आवंटन किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक दृष्टिगण के व भू आवंटन नियम 1970 के विधिक प्रावधानों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जॉच किये ही केवल एकतरफा की गई फौरी जॉच को ही आधार बनाकर आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है, जो निर्णय विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 को निरस्त फरमाया जावें एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को बहाल किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जॉच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जॉच दल का गठन

P.T.O

किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जॉच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जॉच की जाकर जॉच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। आवंटी का निवास स्थान राजडोली तहसील टहला अंकित किया गया है जबकि आवंटित आराजी वाके ग्राम खारियावास में स्थित है, प्रावधानुसार आवंटी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में आवंटी का ग्राम/ग्राम पंचायत से भिन्न होने के कारण आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय ही था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में निम्न तथ्यों व रिपोर्ट का अंकन किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडो की पालना नही की है, आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका में संधारित है या नही से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, उद्घोषणा जारी होने के पश्चात् तामील/चस्पानगी के सम्बन्ध में तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नही है, आवंटन सलाहकार समिति की बैठक सूचना की तामील कब हुई, इस सम्बन्ध में पत्रावली में तारीख का अंकन नही है, ना ही तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट अंकित है, पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट संलग्न नही है एवं वन विभाग खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नही है, साथ ही आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नही किया गया है और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नही है, खसरा नम्बर 12 का आंशिक आवंटन हुआ है, नजरी नक्शा संलग्न नही है, आवंटी को वाके ग्राम खारियावास तहसील टहला में भूमि आवंटन की गई, जबकि आवंटी के मूल निवास स्थान राजडोली तहसील टहला जिला को आवंटन किया गया है जो भिन्न ग्राम/पंचायत को आवंटन होना पाये जाने, जॉच कमेटी ने आवंटन आदेश शिविरों/फैलोअप कैम्पों में नही किया जाना बतलाया गया है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिये, जो नही किये गये, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत प्रमाण उपलब्ध नही है, इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन करते समय आवंटन की शर्तो की पालना नही कर आराजी का आवंटन किया गया है, प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटीकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों में बसे गांव की सूची में आती है, ग्राम खारियावास उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का वन क्षेत्र में आता है, उक्त आवंटन के सम्बन्ध मे आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकरण अजमेर (stamp)

अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा भी की गई है, इत्यादि जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 पारित किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।